(वाद सं0–2207/4/24/2020)

22.02.2022

परिवादी, प्रदीप कुमार, उपस्थित है।

परिवादी को सुना व संचिका का अवलोकन किया।

प्रसंगाधीन मामला, दिनांक–05.02.2016 को परिवादी, प्रदीप कुमार, की पुत्री, प्रिया कुमारी उर्फ संध्या, की घर में आग लग जाने के कारण हुई मृत्यु से संबंधित सिलाव थाना कांड सं0–01/2016, दिनांक–10.03.2016 के अन्तर्गत चार लाख रुपये की मुआवजा राशि दिलवाये जाने से संबंधित है।

उक्त पर जिला पदाधिकारी, नालन्दा से प्रतिवेदन की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, नालन्दा के प्रतिवेदनानुसार कांड की मृतका मैट्रिक परीक्षा में तृतीय श्रेणी से पास की थी, जिसके कारण हमेशा डिप्रेशन में रहती थी। एक दिन स्वयं अपने शरीर पर किरासन तेल छिड़क कर उसने आत्महत्या का प्रयास किया जिसके कारण दिनांक–05.02.2016 को उसकी मृत्यु हो गयी। प्रतिवेदनानुसार आत्महत्या से हुई मृत्यु पर अनुग्रह अनुदान देय नहीं है। प्रतिवेदन में यह भी उल्लेखित है कि परिवादी द्वारा पूर्व में अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर के समक्ष विधिवत् आवेदन दिया गया था जिस पर नियमानुसार विचार कर परिवादी के दावे को इस आधार पर अस्वीकृत कर दिया गया कि परिवादी की पुत्री प्रिया कुमारी की मृत्यु आत्महत्या है।

संचिका के साथ संलग्न कागजातों से यह प्रतीत होता है कि परिवादी के समान आशय के आवेदन पर बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में भी कार्रवाई की गई है तथा उक्त कार्रवाई के दौरान अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, राजगीर तथा अनुमंडल पदाधिकारी, राजगीर द्वारा प्रसंगाधीन मामले की संयुक्त रूप से जांच कर यह प्रतिवेदित किया गया है कि परिवादी की पुत्री, प्रिया कुमारी, की मृत्यु एक आत्महत्या है। जांच रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि प्रसंगाधीन मामले में परिवादी के फर्द बयान के आधार पर यू0डी0 कांड सं0–01/2016, दिनांक–10.03.2016 दर्ज किया गया

था जिसमें अनुसंधानोपरान्त पुलिस द्वारा अन्तिम प्रतिवेदन समर्पित कर दिया गया है, जो वर्त्तमान में न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है।

अब, जबकि परिवादी की मृत्यु प्रथम दृष्टया एक आत्महत्या प्रतीत होती है तो ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार के तत्संबंधी नियमानुसार परिवादी अनुग्रह अनुदान प्राप्त करने के अधिकारी प्रतीत नहीं होते है।

वर्णित स्थिति में प्रसंगाधीन मामले को मानवाधिकार अतिक्रमण की श्रेणी में न पाकर जिला पदाधिकारी के उपरोक्त प्रतिवेदन को स्वीकार करते हुए राज्य आयोग के स्तर से इसे संचिकास्त किया जाता है।

तद्नुसार परिवादी को सूचित कर दिया जाय।

(उज्ज्वल कुमार दुबे)
सदस्य

निबंधक